

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

रकानी वाराम बनाम गणेश

संख्या

RTA CT 53,188

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>इसी प्रकार उक्त वाद फा में दिनांक 29/11/2019 अंतिम डिक्री पारीत की गई थी उक्त दोनों अपीलों एवं प्रार्थना/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना फा 09 R 13 के अपीलेशन से यह स्पष्ट है की प्रार्थना/प्रतिवादी एक ही प्रार्थना फा के अर्ह न्यायालय से जो निर्णय एवं डिग्री को अपास्त करवाना चाहता है जवकी कानूनन सिन्न-सिन्न निर्णयों एवं डिग्री को अपास्त करवाने के लिए अलग-अलग अपील करना होता है शर्तिए कानूनन 09 R 13 के अन्सार अपील प्रारम्भिक डिक्री 31/10/2019 एवं अंतिम डिक्री अपील दिनांक 29/11/2019 को प्रार्थना फा से अपास्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना/वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना फा वाकत 15/सी.पी.सी को न्यायस्थिति में स्वीकार किये जाने के अपेक्षा दिए जाते हैं तथा प्रार्थना/प्रतिवादी को प्रार्थना फा 09 R 13 को खारिज किये जाने के अपेक्षा दिए जाते हैं तथा प्रार्थना/प्रतिवादी को दिवसतः जारी है कि वह उक्त दोनों अपीलों को अपास्त करवाने हेतु प्रथम से अलग-अलग अपील करने हेतु प्रार्थना फा पारवली केसल शुभागावामा होकर प्रि नम्बर से कस होने पर परस्पर दफ्तार है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 18/1/22 को उक्त न्यायालय एवं सैर शुभागावामा</p>	

36
उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)